उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या :537 /8–3–17–65 विविध/16 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक :09 जून, 2017

अधिसूचना

भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के धारा–20 के प्राविधानों के अन्तर्गत रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के औपचारिक गठन होने तक अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को दिनांक 01 मई 2017 से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा–अभिहित (designate) किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्या : 401/8–3–17–65 विविध/16 टी0सी0, दिनांक 03 मई, 2017 को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, जो भी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हों, को दिनांक 01 मई 2017 से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा–अभिहित (designate) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव

SO-advertisement-RERA